

जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी
वाराणसी।

सेवा मे.

प्रबन्धक,
एम०पी०इंगिलश स्कूल
मगरहुआ-वाराणसी।

पत्रांक / वेसिक / 8675-77

/2015-2016/दिनांक : 22-12-2015

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-18 के प्रयोगन के तिथि विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके तारीख 29-10-2011 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्कालीन तारीख 31-03-2018 तक तीन वर्ष की अवधि तक के लिये कक्षा नंसरी से कक्षा 09 तक के लिये अननियम अनुच्छेदी से मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधीन है—

- 1- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी तरफ में कक्षा-8 के पश्चात् मान्यता/संवयन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 (उपाध्य 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2010 (उपाध्य 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3- प्राप्ति कक्षा-1 में (१। यथा रेखांत, न... कक्षा ने) उन कक्षा -4 बालकों द्वा. संख्या के 25 प्राप्तिकाल आस-डोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन लम्फ के बालकों को प्रदेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हा. जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- 4- पैरा-3 मे निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उप धारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने हो लिये विद्यालय एक पृथक बैक खाता रखेगा।
- 5- सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का तंग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कूलिंग प्रक्रिया के अध्यक्षीन नहीं करेगा।
- 6- विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सदृत न होने के कारण प्रदेश देने से इकाह नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित तुलनियत घरेगा—
 (I) प्रदेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में कंस नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 (II) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड का मानसिक उत्पीड़न के अध्यक्षीन नहीं किया जायेगा।
 (III) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 (IV) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-25 के अधीन अधिकारित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 (V) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तिता ग्रस्त/दिशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रोत्त दिया जाना।
 (VI) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) दे अधीन यथा अधिकारित न्यूनतम् अहंतारों के साथ की जाती है। पन्नु यह और कि विद्यमान अध्यापक (लेन्डर) पास इस अधिनियम के प्रारम्भ दर-न्यूनतम् अहंतारों नहीं हैं, पौंछ नीं को अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम् बहुत अधिक अंतिम करेंगे।
 (VII) अध्यापक अधिनियम की धारा-24(1) के अधीन निर्दिष्ट अपने कर्दग्गी का पालन करता है तो वे
 (VIII) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- 7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकारित पाठ्यवर्षों के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8- विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधायें निम्नानुसार हैं—

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल— 8000 वर्गफिट

कुल निर्मित क्षेत्र— 5020 वर्गफिट

क्रीड़ास्थल का शेनाफल— पर्याप्त है।

कक्षाओं की संख्या— 19

प्राध्यापक—सह कार्यालय—सह भण्डागार के लिये कक्षा—02

बालक और बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय— उपलब्ध है।

पेयजल सुविधा— उपलब्ध है।

मिड-डे-मील पकाने के लिये रसोई— — —

वाधा रहित पहुँच— उपलब्ध है।

अध्यापन पठन सामाची/क्रीड़ा खेलकूद उपरकरों/पुस्तकालय की उपलब्धता— है

9- विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलायी जायेगी।

10- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।

11- 'विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1860' (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12- स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।

13- विद्यालय के लेखाओं को किसी चार्टड एकान्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। उचित लेखा विवरण की एल प्रति प्रत्येक वर्ष जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी जो उन्हीं द्वारा चाहिये;

14- अन्य किसी विद्यालय का आवाटित मान्यता का उत्तर संख्यांक ग्राम में उपलब्ध है। कृपया इसे नोट कर लें और इन कार्यालय के साथ किसी पत्राघार के लिये इस संख्यांक का उत्तरेख करें।

15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित भरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जायें।

16- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।

17- विद्यालय प्रबन्धसंत्र द्वारा प्रस्तुत कोई अभिलेख त्रुटिपूर्ण, फर्जी एवं असत्य पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निर्गत मान्यता रखते निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण विधिक उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धसंत्र का होगा।

भवदीय

(आरोसी०एस०यादव)
जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
वाराणसी।

पृष्ठ०/ वैसिक / 2015-2016/ उसी तिथि को।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (वैसिक) रेस्ट. नगर, नगर, वाराणसी।

2- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर, देव, रेस्ट. नगर, वाराणसी।

(आरोसी०एस०यादव)
जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
वाराणसी।

प्रेषक

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
वाराणसी

सेवा में,

उप सचिव संबंधता ईकाई
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली

विषय : — कक्षा — 1 से 8 तक की संबंधता के नवीनीकरण के सम्बन्ध में —

पत्रांक — प्रा० शि० प० /1905-08 / 2019-20

दिनांक २० सितम्बर, 2019

महोदय,

उपर्युक्त विषय में आपको अवगत कराना है जिन विद्यालयों की कक्षा 1 से 8 तक
एक बार मान्यता हो जाती है उन्हे पुनः मान्यता की नवीनीकरण नहीं करानी होती है।

भवदीय,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
वाराणसी

पृ० सं० / प्रा० शि० प० /1905-08 / 2019 - 20

संलग्नक — प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन की छायाप्रति

प्रतिलिपि :— उसी तिथि को प्रबन्धक, श्री संजय कुमार यादव, एम पी इंग्लिश स्कूल मगरहुआ वाराणसी
को सूचनार्थ

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
वाराणसी